न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 104/2018 दायर तारीख 04/07/2018

अनवान

01. बेगमबानु पत्नि मिन्टु खां पठान निवासी वार्ड नम्बर 4, दरगाह मौहल्ला, आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

....................वादीया

बनाम

01. मदनलाल पिता बंशीलाल राव, निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
02. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 गणेशपुरा तहसील सहाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक।
03. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता वादीगण

श्री .... अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24/02/2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18.10.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा स्थित आराजी नं0 633 रकबा 0.07हे0, 634 रकबा 1.93हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.00हे0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/222 दिनांक 19.12.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा स्थित आराजी नं0 633 रकबा 0.07हे0, 634 रकबा 1.93हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.00हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

लगातार......02

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	बेगमबानु पत्नि मीन्टु खां हिस्सा पूर्ण जाति पठान सा0 दरगाह मौहल्ला, वार्ड न0 4 आसीन्द खातेदार	गणेशपुरा	633 634/1	0.07 0.73
		योग	2	0.80
2	मदनलाल पुत्र बंशीलाल हिस्सा पूर्ण जाति राव सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण खाता GSSS गणेशपुरा	गणेशपुरा	634/2	1.20
		योग	1	1.20

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/02/2020

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.24 15:48:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: